

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, बोकारो।

सरफेसी वाद सं०-112/2023-24

HINDUJA HOUSING FINANCE LTD.

बनाम्

Mrs. LAKHO DEVI & ORS.

—: आदेश :-

20.06.2024

प्राधिकृत पदाधिकारी, HINDUJA HOUSING FINANCE LIMITED, 1st Floor, Vijeta Enclave, Ratu Road, Piska More, Ranchi, Jharkhand-834005 के द्वारा धारा-14 (1) and (2) OF THE SECURITIZATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT 2002 के अन्तर्गत विपक्षी 1. Mrs. Lakho Devi 2. Mr. Surendra Mahto Both R/O Chagri Tirla, Baridari, Gomia, Bokaro Jharkhand - 829112 के विरुद्ध बैंक में गिरवी रखे गए सम्पत्ति/भूमि पर दखल-कब्जा प्राप्त करने के क्रम में विधि व्यावस्था संधारणार्थ दण्डाधिकारी एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति हेतु आवेदन पत्र दाखिल किया गया है।

फलस्वरूप उक्त एक्ट के तहत कार्रवाई प्रारंभ करते हुए उभय पक्षों को अपना-अपना पक्ष रखने के लिए सूचित किया गया।

प्रथम पक्ष HINDUJA HOUSING FINANCE LIMITED की ओर से दाखिल आवेदन पत्र में उल्लेख किया गया है कि विपक्षी ने अपनी निम्नांकित सम्पत्ति (All that peace and parcel of Land at Mouza Chagadi, P.S. Gomia, Thana No. 40, Khata No. 15, R.S. Plot No. 686 admesuring area 38 decimal District Giridih; North: Vijunath Rajwar, South: Jagannath Munda, East: Forest, West: Road.) को गिरवी रखते हुए बैंक से 8,10,250/- (आठ लाख दस हजार दो सौ पच्चास) रुपये ऋण लिया गया था जिसे अब तक उनके द्वारा नहीं चुकाया गया है। उनके द्वारा ऋण की वापसी में अनियमितता बरती गई है, जिसके कारण ऋणकर्ता का खाता दिनांक-28.02.2020 को ही एन0पी0ए0 हो गया है। आवेदन दायर करने की तिथि तक ऋणकर्ता पर कुल रुपये 9,32,810/- के साथ ब्याज एवं अन्य शुल्क का बकाया है। ऋण की वापसी हेतु बैंक के द्वारा SARFAESI ACT-2002 के विभिन्न धाराओं के तहत नियमानुसार कार्रवाई के बावजूद भी विपक्षी की ओर से बकाया राशि

की वापसी की दिशा में कोई पहल नहीं किया गया है। फलस्वरूप SARFAESI ACT-2002 की धारा-14 (1) & (2) के तहत विपक्षी की सम्पत्ति पर दखल-कब्जा प्राप्त करने में शांति व्यवस्था भंग नहीं हो इसके लिए उनके द्वारा दण्डाधिकारी एवं पुलिस बल की माँग की गई है।

विपक्षी को निबंधित डाक से सूचना भेजे जाने के बाद भी वह सुनवाई के दौरान पुकार पर अनुपस्थित है।

ऐसी स्थिति में प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा दाखिल आवेदन पत्र, अभिलेख में संधारित कागजात के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचती हूँ कि बैंक के द्वारा विपक्षी से ऋण की वापसी के लिए SARFAESI ACT-2002 के विभिन्न धाराओं के तहत नियमानुसार कार्रवाई की गई। बावजूद इसके विपक्षी के द्वारा बकाया ऋण की राशि के वापसी की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। सूचना प्राप्ति के बाद भी उनका सुनवाई दौरान पुकार पर अनुपस्थित रहना उनके ऋण न चुकाने की मंशा को दर्शाता है।

वर्णित परिस्थिति में SARFAESI ACT-2002 की धारा 14(1) एवं (2) निहित प्रावधानों के तहत प्राधिकृत पदाधिकारी, HINDUJA HOUSING FINANCE LIMITED 1st Floor, Vijeta Enclave, Ratu Road, Piska More, Ranchi, Jharkhand-834005 द्वारा किए गए अनुरोध पर प्रश्नगत सम्पत्ति/भूमि पर दखल-कब्जा प्राप्त करने के क्रम में शांति भंग न हो इसके लिए विधि-व्यवस्था संधारण हेतु पुलिस अधीक्षक, बोकारो एवं संबंधित अनुमण्डल पदाधिकारी आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।

तदनुसार संबंधित को सूचित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

4/20/6
उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी
बोकारो।

4/20/6
उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी
बोकारो।

स्थान:- बोकारो।

दिनांक:- 20/06/2024